5 रु. भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES
भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES
भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

(8)

1

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल ग्वालियर म.प्र.

प्रकरण क्रमांक / 2016 निगरानी निग – 857 – II/16

श्री कृष्ण कुमार तनय विश्वनाथ प्रसाद ब्राम्हण निवासी ग्राम परसवार तहसील चुरहट जिला सीधी म.प्र.

... आवेदक

बनाम

बाल्मिक प्रसाद तनय जगदेवराम ब्राम्हण निवासी ग्राम परसवारतहसील चुरहट जिला सीधी म.प्र.

.... अनावेदक

श्री विनोद श्रीवास्तव एड. द्वारा आज दि. 11-3-16 प्रस्तुत
क्लर्क ऑफ कोर्ट 11-3-16 राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

निगरानी अंतर्गत धारा 50 (1) म.प्र. भू राजस्व संहिता 1959 न्यायालय अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा म.प्र. द्वारा प्रकरण क्रमांक 763/ अपील/ 07–08 में पारित आदेश दिनांक 04.01.2016 के विरूद्व निगरानी प्रस्तुत है :–

श्रीमानजी

आवेदक की निगरानी निम्नलिखित प्रस्तुत है :–

1. यहकि, आवेदक द्वारा नायब तहसीलदार के समक्ष ग्राम परसवार की आ.नं. 448/ 029 , 449/ 0.21 के नक्शा तर्मीन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया। प.ह. / रा.नि.को नक्शा नर्मीन के प्रस्ताव हेतु परवाना जारी किया गया। अतः राजस्व निरीक्षक चुरहट के प्रस्ताव प्रदर्श पी/ 1, प्रदर्श पी/ 2 , प्रदर्श पी/3 के अनुसार नक्शा तर्मीन का आदेश दिनांक 03.02.99 को दिया गया , जिसका प्रकरण क्रमांक 1/ अ–5/ 1998–99 है।
2. यहकि, अनावेदक द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चुरहट जिला सीधी के समक्ष आवेदन पत्र वास्ते किये जाने नक्शा सुधार बाबत

(15)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-857-दो/16 **जिला** - सीधी

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
29/06/2019	प्रकरण का अवलोकन किया एवं उभयपक्ष अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचार किया। अनावेदक अधिवक्ता द्वारा आदेश 22 नियम 9 सी.पी.सी. के तहत एक आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि अनावेदक का दिनांक 28.11.2016 को स्वर्गवास हो गया है। ऐसी स्थिति में आवेदक द्वारा समयावधि में वारिसान को रिकॉर्ड पर नहीं लिए जाने से प्रकरण उपशमित किया जावे। प्रकरण को देखने से स्पष्ट होता है कि आवेदक द्वारा न्यायालय को सही वारिसान की जानकारी न देकर उसे भ्रमित करने का प्रयास किया गया है। जिससे स्पष्ट है कि इतने महीनों से आवेदक पक्षकारों के संयोजन को लेकर सदाशयपूर्ण नहीं है एवं उचित पक्षकारों को संयोजित करने में कोई रुचि न लेते हुए न्यायालय को भ्रम में रखकर पक्षकारों का कुसंयोजन का प्रयास किया जा रहा है। उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी उपशमित की जाती है। **(महेश चन्द्र चौधरी)** **सदस्य**	